-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मौके से लगभग 1.2 लाख रुपये की कीमत का निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखा व पटाखा बनाने की सामग्री, बारुद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ आदि बरामद।**

विवरण- सुरक्षित, सौम्य एवं दुर्घटनारहित दीपावली सम्पन्न कराने की शासन की मंशा एवं श्रीमान् पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस.के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रुप से पटाखा निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 17.10.2025 की देर शाम को थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम को गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि परशुराम तालाब रेलवे ट्रेक के पीछे राममिलन के मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर छापेमारी कर अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया तथा अवैध रुप से पटाखे का निर्माण कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। मौके से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ, खाली डिब्बे, पैकिंग सामग्री, रैपर/कागज, पटाखे बनाने के उपकरण एवं निर्माण में प्रयुक्त आदि सामग्री बरामद की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि वे दीपावली के पूर्व बाजार में अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति करने की तैयारी में थे। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि अभियुक्तों द्वारा पटाखा बनाने की अवैध सामग्री वे कहाँ से लाते थे, तथा इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना पुत्र हरिप्रसाद निवासी मोहल्ला परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. पंकज पुत्र सत्य नारायण निवासी मोहल्ला परशुराम तालाब थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 04 बोरी देशी पटाखा 42.5 किलोग्राम
- 02 बोरी सफेद हार्ड रैपर 47 किलोग्राम
- 01 बोरी अर्धनिर्मित खोखा 04 किलोग्राम
- कच्चे सीमेण्ट के टुकड़े 16 किलोग्राम
- देशी रोशनी 07 किलोग्राम
- सूजा, भगोना, कटर बत्ती
- 13 प्रकार के छोटे/बडे पटाखा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 804/25 धारा 287 बीएनएस व 5क/9(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 कोत0 नगर श्री बलराम सिंह
2. उ0नि0 श्री आशुतोष त्रिपाठी
3. हे0कां0 धर्मेन्द्र कुशवाहा
4. कां0 प्रशांत यादव
5. कां0 सौरभ यादव
6. कां0 सागर यादव
7. कां0 सत्यम गुर्जर